संख्या– 729/सैंतीस–2–2024

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

3. निदेशक,
प्रशासन एंव विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 **लखनऊ :: दिनांक 09 अप्रैल, 2024**

विषयः–प्रदेश में निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु स्थापित गो आश्रय स्थलों में ग्रीष्म ऋतु एवं उ0प्र0 राज्य प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार लू–प्रकोप के दृष्टिगत मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण हेतु व्यापक कार्यक्रम संचालित किया रहा है, जिसके सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न स्तर से निर्देश भी निर्गत किये गये हैं।

2. वर्तमान में प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का प्रारम्भ हो चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई0एम0डी0) द्वारा वर्तमान वर्ष के माह मार्च से मई 2024 के मध्य सामान्य से अधिक तापमान होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस हेतु अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्र संख्या–1280/हीट वेव/2023, दिनांक 15.03.2024 में की गयी अपेक्षानुसार प्रदेश में विभिन्न गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित निराश्रित गोवंश को ग्रीष्म ऋतु एवं लू–प्रकोप से बचाव के लिये निम्नानुसार कार्यवाही समयबद्ध रूप से की जायः–

1– प्रत्येक निराश्रित गो आश्रय स्थल पर विशेष निगरानी कराते हुए गोवंश को धूप व गर्मी से बचाने के लिए पर्याप्त छाया की व्यवस्था की जाये तथा शेड को गर्म हवाओं के प्रकोप से बचाने के लिए तिरपाल अथवा टाट/बोरे से ढका जाय।

2– गो आश्रय स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में भूसा, हरा चारा तथा दाना इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा निराश्रित गोवंश के भरण पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाय।

3– गोवंश के पीने हेतु स्वच्छ एवं ताजा पानी की व्यवस्था की जाय।

4– सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा संरक्षित स्थान पर रखकर उपचार की व्यवस्था की जाय।

5– बीमार तथा अशक्त गोवंशों को छायायुक्त सुरक्षित स्थान पर रखकर उपचार की व्यवस्था की जाय।

6– यदि किसी गो आश्रय स्थल पर गोवंश की मृत्यु होती है तो गोवंश के शव का निस्तारण यथाशीघ्र सुरक्षित एवं सम्मानजनक ढंग से किया जाय, जिससे गर्मी के कारण शव का पुट्रीफैक्शन (विघटन) न होने पाए और बीमारी के फैलने का खतरा उत्पन्न न हो।

7– गो आश्रय स्थलों पर रात्रिकालीन चौकीदार की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय।

8– गो आश्रय स्थलों पर आगजनी से बचाव हेतु समुचित प्रबंध किये जाय तथा फायर स्टेशन का दूरभाष नम्बर प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर अंकित कराया जाय।

9– गो आश्रय स्थलों पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था तथा ससमय पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by
रविन्द्र
Date(रविन्द्र)2024 17:10:30
Reason: Approved
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/सैंतीस–2–2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6– निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री, उ0प्र0।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
/
(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।